

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/रा.का. 00001/2018/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 09 AUG 2019

—आदेश—


श्री मुकेश अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद, भरतपुर को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.08.2019 द्वारा "आदेशों की प्रतीक्षा में" किया जाकर ग्रामीण विकास मुख्यालय, जयपुर पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। इनकी सेवा निवृत्ति दिनांक 31.01.2020 होने के कारण उक्त श्री अग्रवाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से इनके पैतृक विभाग-कृषि विभाग को लौटाई जाती हैं एवं निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (कृषि विभाग) में प्रस्तुत करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)  
E-mail dsadmnrdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
7. जिला कलक्टर, भरतपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्री मुकेश अग्रवाल, अधि.अभि.(अभि.) को तत्काल पैतृक विभाग (कृषि विभाग) हेतु कार्यमुक्त करावें।
9. श्री मुकेश अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता(अभि.), जिला परिषद, भरतपुर।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

  
(राजेश कुमार शर्मा)  
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)